


द्वारा - नाममात्र द्वारा कु. नं. 111/14

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1-9-21	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवान् दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय तबे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर राखर से कम होकर बाद तर्तीय तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर</p>	